उ.म.रे. के सा.एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-72, दिनांक- 05.04.2022 का राजभाषा में अनुवाद

(संदर्भ: (i) कार्यपालक निदेशक/संरक्षा-II/रेलवे बोर्ड का पत्र सं.- 2020/सेफ्टी(ए&आर)/19/17/, दि.-14.03.2022 & भारत का राजपत्र संख्या-192, दिनांक-14.03.2022, मद सं. 01, 02 & 03.

(ii) कार्यपालक निदेशक/संरक्षा-II/रेलवे बोर्ड का पत्र सं.- 2020/सेफ्टी(ए&आर)/19/07/, दि.-18.03.2020, मद सं.- 04.

(iii) वरि.मं.परि.प्रबं.(सम.)/प्रयागराज का पत्र सं.- टी/विविध/संरक्षा/2021, दिनांक- 07.09.2021, मद सं.- 05.

(iv) वरि.मं.परि.प्रबं.(सम.)/प्रयागराज का पत्र सं.- टी/विविध/संरक्षा/2022, दिनांक- 11.02.2022, मद सं.- 07.

(v) वरि.मं.परि.प्रबं.(सम.)/प्रयागराज का पत्र सं.- टी/विविध/संरक्षा/2021, दिनांक- 21.03.2022, मद सं.- 08 & 09.)

01. वर्तमान सा.नि. 1.01(1) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 72)

सा.नि. 1.01(1) : इन नियमों को भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा ।

02. वर्तमान सा.नि. 4.35 को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 72)

सा.नि. 4.35 : गाड़ियों का प्रस्थान -

(1) लोको पायलट प्रस्थान प्राधिकार के बिना स्टेशन से अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा। गाड़ी के प्रस्थान से पहले, वह इस बात का समाधान करेगा कि सभी सही स्थावर सिगनल और, जहां आवश्यक है, वहां हैंड सिगनल दे दिए गए हैं और उसके सामने, लाइन पर कोई प्रत्यक्ष अवरोध नहीं है तथा गार्ड ने प्रस्थान के लिए सिगनल दे दिया है। गार्ड, प्रस्थान सिगनल देने से पहले, यह देख लेगा कि गाड़ी को आगे चलाने के लिए सब कुछ ठीक है ।

(2) स्टेशन मास्टर और गार्ड को विशेष अनुदेशों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति से संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी भूमिका या ड्यूटी सौंपी जा सकती है ।

(3) गार्ड, गाड़ी के प्रस्थान के लिए सिगनल तब तक नहीं देगा जब तक इस बात का समाधान नहीं हो जाता कि विशेष अनुदेशों के अनुसार के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी ऐसे डिब्बे या वाहन या वाहन की छत पर यात्रा नहीं कर रहा है, जो यात्रियों के प्रयोग के लिए नियत नहीं है ।

(4) उप-नियम (3) के विपरीत किसी यात्रा के मामले में, गार्ड, लोको पायलट या सहायक लोको पायलट, यदि आवश्यक हो, किसी डिब्बे या वाहन या वाहन की छत से किसी अनधिकृत व्यक्ति को हटाने के लिए राजकीय रेल पुलिस, रेल सुरक्षा बल और स्टेशन कर्मचारियों से सहायता लेगा ।

03. वर्तमान स.नि. 4.35/1(ख)(i) को हटाया जाता है और स.नि. 4.35/1(ख)(ii) को स.नि. 4.35/1(ख) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 72)

04. नया स.नि. 4.10/2 निम्नानुसार जोड़ा जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 72)

स.नि. 4.10/2 - नान-इंटरलॉकिंग कार्य 30 कि.मी. प्रति घंटा की गति से करने की स्थिति में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए -

(i) उपयुक्त क्लैंपों का उपयोग करते हुए कांटों को क्लैंप एवं पैडलाक करके, गाड़ी की गति को 30 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) अलग से अस्थायी पैनल की आवश्यकता नहीं है और केवल स्वतंत्र होम सिगनल दिया जाएगा।

(iii) परिचालन कर्मचारियों द्वारा कांटों के सही सेट होने की जांच की जाएगी तथा उपयुक्त सर्किट वायरिंग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मुख कांटों (फेसिंग प्वाइंट्स) को नार्मल अवस्था में संबंधित सिगनल द्वारा सत्यापित किया जा रहा है।

(iv) रेलपथ का भौतिक सत्यापन स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जायेगा ।

(v) विशेष अनुमोदित अनुदेशों के अधीन नान-इंटरलॉकिंग कार्य 30 कि.मी. प्रति घंटा की गति से करने की स्थिति में आवश्यक संरक्षा निर्देशों को नान-इंटरलॉकिंग से संबंधित अस्थायी कार्य संचालन निर्देशों में शामिल किया जाना चाहिए तथा जहाँ आवश्यक हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समुचित सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए ।

05. वर्तमान स.नि. 4.19/2(क)(4) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 72)

स.नि. 4.19/2(क)(4) - पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन (केवल उन खण्डों के लिये जहां विश्वसनीय एमटीआरसी सिस्टम उपलब्ध नहीं है) - एक प्रत्येक जे.ई/दूरसंचार

06. वर्तमान स.नि. 6.07/5 को स.नि. 6.07/4 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 72)

07. वर्तमान स.नि. 4.09/1(IV)(ख) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 72)

स.नि. 4.09/1(IV)(ख) - सतर्कता आदेश के पीछे कोई भी प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए यदि एक से ज्यादा सतर्कता आदेश पत्र प्रयोग में लाए जाएं तो उनमें क्रमशः पृष्ठ 1, पृष्ठ 2, पृष्ठ 3 आदि लिखे जाने चाहिए।

परंतु उन स्टेशनों पर जहाँ सतर्कता आदेश कंप्यूटर द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, वहाँ उन्हें कागज के दोनों तरफ प्रिंट किया जाना चाहिए और उन पर क्रमानुसार पृष्ठ 1, पृष्ठ 2, पृष्ठ 3 आदि लिखे जाने चाहिए।

08. वर्तमान स.नि. 5.23/1(ख) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 72)

स.नि. 5.23/1(ख) - जब किसी वाहन को परिचालित (रनिंग) लाइन पर स्टेबिल करना जरूरी हो तब उसके ब्रेकों को लगाकर तथा उसे बांध कर सुरक्षित करना चाहिए। इसके अलावा कांटो को लाइन के विरुद्ध सेट एवं क्लैम्प करना चाहिए और उनपर ताला अवश्य लगा देना चाहिए तथा चाबी स्टेशन मास्टर के पास रखनी चाहिए। यदि कोई स्टेशन एसएसआई/इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग से युक्त हो और कांटों, मार्गों तथा सिगनलों को, एलसीपी/वीडीयू के द्वारा ब्लाक किया जा सकता है, तो कांटों को स्विचक्लैम्प और पैडलाक करना आवश्यक नहीं है।

09. वर्तमान स.नि. 5.23/2(i)(ड.) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 72)

स.नि. 5.23/2(i)(ड.) - कांटों को अवरुद्ध लाइन के विरुद्ध तथा यदि ट्रैप प्वाइंट उपलब्ध हो तो उसे डेड इण्ड की ओर सेट, क्लैम्प एवं पैडलाक किया जायेगा । स्काच ब्लाक अवश्य उपयोग में लाया जाएगा, यदि उपलब्ध हो । यदि कोई स्टेशन एसएसआई/इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग से युक्त हो और कांटों, मार्गों तथा सिगनलों को, एलसीपी/वीडीयू के द्वारा ब्लाक किया जा सकता है, तो कांटों को स्विचक्लैम्प और पैडलाक करना आवश्यक नहीं है।

सं.- याता/सामा./संशोधन पर्ची/22/20
दिनांक : 09.05.2022.

(बिप्लव कुमार)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख कार्यकारी निदेशक (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली ।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य बिजली इंजी., प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज ।
4. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक- उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे ।
5. मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
6. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी/उत्तर रेलवे ।
8. प्राचार्य, बिजली प्रशिक्षण केंद्र/कानपुर/उत्तर मध्य रेलवे ।

(बिप्लव कुमार)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक